न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 25/2019(185/2012)
GCMS NO. : 2012/00017

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. लक्ष्मण पुत्र हीरनाथ जातियान नाथ निवासी टूंकडा तहसील जैतारण।		1. तहसीलदार, जैतारण जरिये राजस्थान सरकार। 2. पटवारी, पटवार हल्का, टूंकडा। 3. जिला कलक्टर महोदय, पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी

तारीख रजूः 23/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री हरीओम पारिक, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. सरकारी पैरोकार।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 30/09/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम टूंकडा भू–अभिलेख निरीक्षक, रास तहसील जैतारण जिला पाली में सायल के खसरा नम्बर 487/321 रकबा 10 बीघा बारानी अव्वल जिसका लगान 0.50 पैसे 05/– रूपये हैं। सायल का पिता हीरानाथ पुत्र मोतीनाथ निवासी टूंकडा इस पर लगभग वक्त एलोटमेन्ट से पूर्व से ही काबिज था तथा काश्त करता था। सायल के पिता की मृत्यु दिनांक 16–4–1997 को हो चुकी है। उसी समय से सायल अपने पूर्वजों की जमीन पर काबिज है तथा मौके पर कब्जा काश्त है तथा सायल चिर काल से इसका उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है। जिसमें बिना किसी व्यवधान के शान्ति पूर्वक उक्त खसरा नम्बर की आराजी पर कब्जा काश्त बतौर भौकता से आज भी चला आ रहा है। कार्यालय अधिक्षक जिला कलक्टर, कार्यालय पाली द्वारा प्रमाणित प्रति दिनांक 04–01–2012 इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त फिकरा संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजी को प्रार्थना पत्र में मुतदाविया आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त मुतदाविया आराजी का सायल के पिता के नाम राजस्थान भू–राजस्व (भू–आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ नियम 1970) की पालना में उक्त मुतदाविया आराजी दिनांक 06–05–1976 को बतौर सनद फीस वसूल कर भू–आवंटन कमेटी के आदेश के अनुसार 05/– रूपये जरिये रसीद संख्या 094143/5 दिनांक 06–05–1976 को फीस वसूल कर दिनांक 09–05–1976 को भूमि का कब्जा सायल के हक में आवंटित कर दिया गया। जिसका नामान्तकरण संख्या 161 दिनांक 07–05–1976 को सायल के हक में किया गया तथा जमाबंदी संख्या एक दो, पृष्ठ संख्या पर इन्द्राज किया गया। दिनांक 09–05–1976 को पास बुक जारी की गई। भू–आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पत्र पर आवंटलन अधिकारी पटवारी तथा आवंटन समिति के हस्ताक्षर है। आवंटन के दौरान हीरानाथ 70 वर्ष का था। और भूमिहीन कृषक था। उक्त मुतदाविया आराजी पर बतौर काश्तकार स्वयं काश्त करता और उस पर काबिज था। सायल के पिता के कब्जे के अनुसार उक्त मुतदाविया आराजी बिना किसी आपत्ति के सायल के पिता को आवंटित कृषि कार्य के लिये दी गई। तब से आयल तथा सायल के पिता बतौर उस पर कृषि कार्य करते है। बिना किसी रोक-टोक के व्यवधान के आज भी इस पर काबिज है। जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2031 व जमाबन्दी की संवत् 2032 से 2035 व जमाबंदी की नकल सम्वत् 2036 से 2039 में बतौर काश्तकार के सायल का पिता काबिज होने का उक्त मुतदाविया आराजी पर काबिज होने पर पुख्ता सबूत है। दिनांक 27-06-1978 को श्रीमान् तहसीलदार साहब, जैतारण के आदेश क्रमांक/रेवेन्यू/954 दिनांक 08-10-1977 को बिना विधिवत सुनवाई का अवसर दिये, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का घौर उल्लंघन करते हुए सायल की मुतदाविया कृषि आराजी को गैरसायलान द्वारा कृषि भूमि हडपने की नियत से तथा सायल को पुनः भूमिहीन करने की नियत से राजस्थान सरकार के हक में नामान्तकरण भरा गया। वो काबिल मन्सुख के है। सायल तथा उसके वारिसान को इसकी जानकारी नहीं थी। दिनांक 20-07-2012 को जब सायल ने पटवारी पटवार हल्का टूंकडा से नकल प्राप्त की तब पता चला कि उसके पिता के नाम कृषि आराजी राजस्थान सरकार के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई है। सायल का पिता गरीब एवं भूमिहीन होने के कारण राजस्थान सरकार ने इस उक्त मुतदाविया कृषि भूमि आवंटन की तथा सायल को बिना बेदखल किये बिना किसी रोक टोक के कब्जे में बाधा उत्पन्न किये। बिना किसी व्यवधान के कब्जे काश्त में दखल के बिना तथा बेदखली की म्याद अवधि गुजरने के पश्चात् भी बेदखल हेतु आज तक किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही सायल के विरूद्ध नहीं की गई है व बाले-बाले राजस्व रेकर्ड राजस्थान सरकार ने उक्त खसरा नम्बरान की उक्त स्वयं के नाम अंकित कर दिया। जो काबिल मन्सुख के हैं तथा जो एक रौंग एन्ट्री है। जिसे संशोधित कर सायल के नाम वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। सायल का पिता अनपढ होने के कारण उन्होनें कभी भी भू-अभिलेख से सम्बन्धित नकलें आवंटन के पश्चात् प्राप्त नहीं की। जब सायल स्वयं ने नामान्तकरण संख्या- 212 की प्रमाणित प्रति पटवारी हल्का टूंकडा से प्राप्त की तब बिना बताये दिनांक 20.07.2012 को बमुकाम टूंकडा में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। सरहद मौजा ग्राम टूंकडा पटवार क्षेत्र टूंकडा तहसील जैतारण जिला-पाली में सायल के खसरा नम्बर 487/321 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी अव्वल जिसका लगान 0-05 पैसा 5/- रूपयें है। सायल का पिता हीरानाथ पुत्र मोतीनाथ निवासी टूंकडा इस पर लगभग वक्त एलोटमेन्ट से पूर्व से काबिज था तथा काश्त करता है। सायल के पिता की मृत्यु दिनांक 16.04.1997 को हो चुकी है। उसी समय से सायल अपने पूर्वजों की जमीन पर काबिज है व मौके पर कब्जा [illegible] दृष्टिया मामला व सुविधा का संतुलन बखुबी साबित है व यदि गैरसायलान द्वारा सायल की कब्जे काश्त में बेजा में दखल पैदा करते हो तो सायल को अपूरणीय [illegible] होगी। अतः सायल के पक्ष में एक पक्षीय अन्तरीम अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] तथा उक्त आदेश को दावे के निर्णय तक पुख्ता किया जोने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 01 से 03 की ओर से सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार जैतारण नियुक्त है। गैरसायलान की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि वादी के पिता हीरानाथ पुत्र मोतीनाथ के नाम ग्राम टूंकडा के खसरा नम्बर 487/321 रकबा 10 बीघा का आवंटन भू–प्रबंध के पश्चात हुआ। जिसका इन्द्राज जमाबंदी ग्राम टूंकडा संवत् 2028–31 में जरिये नामा0सं0 161/07.05.1976 से हुआ है। अतः भू प्रबंध से पूर्व आवंटन व पुश्तैनी भूमि होने का तथ्य सही नहीं है। वर्तमान में कब्जे का तथ्य भी अस्वीकार है। वादी के पिता हीरानाथ पुत्र मोतीनाथ को उक्त भूमि नियमों के अनुसार आवंटित की गयी। लेकिन बतौर कृषक कृषि करना व आदिनांक कब्जा होने का तथ्य अस्वीकार है। हीरानाथ के द्वारा स्तीफा प्रस्तुत करने पर भूमिधारी तहसीलदार ने इसे स्वीकार कर जरिये नामां0सं0 212 भूमि दर्ज सरकार की गयी। बिन्दु संख्या 04 में प्रत्युत्तर की जरूरत नहीं है। बिन्दु संख्या 05 व 06 अस्वीकार है। उपरोक्तानुसार वादी के पिता के स्तीफा प्रस्तुत करने पर भूमिधारी द्वारा स्वीकार कर भूमि बहक सरकार ली गयी। अतः वाद को बहक सरकार निर्णय हेतु जबाब दावा प्रस्तुत है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी. पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

1. **प्रथम दृष्ट्या मामलाः–** पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 487/321 रकबा 10 बीघा भू–अभिलेख में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने यह कथन किये कि वादग्रस्त आराजी में, जो कि पूर्व में प्रार्थी के पिता को आवंटित हुई थी, को जरीये ना.सं. 212 दिनांक 08/10/1977 निरस्त कर राजस्थान सरकार का नाम दर्ज हुआ जो काबिल मन्सुख के है। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए यह कथन किये कि प्रार्थी के भू प्रबंध से पूर्व आवंटन व पुश्तैनी होने के तथ्य तथा कब्जा होने का तथ्य सही नहीं है। अप्रार्थी ने यह कथन किये कि वादग्रस्त आराजी वादी के पिता के द्वारा स्तीफा प्रस्तुत करने पर जरीये ना.सं. 212 दर्ज सरकार की गई। पत्रावली पर उपलब्ध ना.सं. 212 के संबंध में नामान्तरकरण पंजीका की प्रतिपरत की प्रति में अंकित प्रविष्टि से अप्रार्थी के उक्त कथन की पुष्टि होती है। प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी में अपने कब्जे संबंधी कथन किये है परन्तु इससे संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना [illegible] है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है जबकि वादग्रस्त आराजी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरुद्ध [illegible] होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि पूर्व विवेचित प्रथम दृष्टया मामले का बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ है। साथ ही वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 01 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थी/राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार जैतारण के पक्ष में निहित है ना कि प्रार्थी के पक्ष में। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में साबित होता हो। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी न होकर सरकारी भूमि है जिसका पूर्व में आवंटन हुआ था जिसे अप्रार्थी के कथनानुसार बाद में विधिक प्रक्रियानुसार निरस्त किया गया। प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि किस प्रकार खाता सं 01 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज भूमि में यदि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। साथ ही अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से खातेदार राजस्थान सरकार को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अतः पूर्व विवेचित दोनों बिंदू प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन के साथ अपूरणीय क्षति का बिंदू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज़/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 30/09/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.27 14:57:17 IST
Reason: SelfAttested